

झारखण्ड सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग  
(संसदीय कार्य)

अधिसूचना

संख्या— मं0म0स0-05/विधायी का0 (वेतन एवं भत्ता)-01/2015(छाया सचिका) 935/दिनांक 19.5.2018  
झारखण्ड विधान-मंडल नेता-विरोधी दल (वेतन और भत्ता) अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम, 02, 2001) की धारा 3 (ज), झारखण्ड विधान-मंडल में नेता विरोधी दल का वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम, 10, 2006) झारखण्ड विधान-मण्डल के नेता विरोधी दल का वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम, 08, 2008) सहपठित झारखण्ड विधान-मंडल के नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 15, 2011) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल निम्न नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -

- (क) यह नियमावली झारखण्ड विधान-मंडल नेता-विरोधी दल, (वेतन और भत्ता) नियमावली, 2015 कहलायेगी।  
(ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।  
(ग) यह नियमावली 01 जनवरी, 2015 से प्रभावी समझी जायेगी।  
(घ) इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय एवं संदर्भ के विरुद्ध न हो, इस अधिनियम में विधान-मंडल के सदन के संबंध में विरोधी दल के नेता से अभिप्रेत है, झारखण्ड विधान-सभा का कोई सदस्य जो तत्समय सदन में सरकार के ऐसे विरोधी दल का नेता हो, जिसकी संख्या-बल सबसे अधिक हो और इस रूप में झारखण्ड विधान-सभा के अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

स्पष्टीकरण : जहाँ विधान-सभा में सरकार के दो या अधिक विरोधी दलों का संख्या-बल समान हो, यहाँ यथास्थिति, विधान-सभा के अध्यक्ष, दलों को हैसियत को ध्यान में रखते हुए इस धारा के प्रयोजनार्थ विरोधी दल के नेता के रूप में ऐसे दलों में से किसी एक दल के नेता को मान्यता प्रदान करेंगे और ऐसी मान्यता अन्तिम एवं निर्णायक होगी।

2. विरोधी दल के नेता का वेतन एवं क्षेत्रीय भत्ता -

- (क) विरोधी दल के ऐसे नेता को प्रतिमाह रु0 50,000/- (पचास हजार) मात्र वेतन दिया जायेगा। वेतन और भत्ते पर देय आयकर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।  
(ख) विरोधी दल के नेता की रु0 30,000/- (तीस हजार) मात्र प्रतिमाह की दर से क्षेत्रीय भत्ता और रु0 30,000/- (तीस हजार) मात्र प्रतिमाह की दर से आतिथ्य सत्कार भत्ता दिया जायेगा।  
(ग) इस नियमावली के अधीन वेतन या भत्ता पानेवाला विरोधी दल का नेता, विधान-मंडल के सदन की अपनी सदस्यता के सम्बन्ध में वेतन या भत्ता के रूप में विधान-मंडल द्वारा उपबंधित निधियों में से कोई रकम प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

WJ

(घ) विरोधी दल के नेता का निवास :

- i. विरोधी दल का नेता अपनी पूरी पदावधि तक और उसके तुरन्त बाद एक माह की अवधि तक रांची में तथा रांची के बाहर किसी अन्य स्थान पर, जहाँ विधान-सभा की बैठक आयोजित हो, किराया दिए बिना एक सुसज्जित निवास के उपयोग करने का हकदार होगा।
- ii. ऐसे निवास के अनुरक्षण के संबंध में विरोधी दल के नेता पर व्यक्तिगत रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- iii. इस नियम के अधीन उपबंधित आवास को सुसज्जित करने एवं अनुरक्षण का व्यय समान दण्ड और वित्तीय सीमाओं के अधीन होगा जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे।
- iv. विरोधी दल के नेता को रु0 30,00,000/- (तीस लाख) मात्र का गृह ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर अनुमान्य होगा।

**स्पष्टीकरण** : इस नियम के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति "आवास" में स्टाफ क्वार्टर और उनके संलग्न अन्य भवन तथा उसके बगीचे भी और "आवास" से संबंधित अनुरक्षण के अन्तर्गत "स्थानीय करों" एवं अन्य करों के भुगतान तथा विद्युत शक्ति और जल की आपूर्ति भी सम्मिलित है।

(ड.) **प्रभारी भत्ता** :- विरोधी दल के नेता को रु0 1,500/- (एक हजार पांच सौ) मात्र प्रतिदिन राज्य के अन्दर एवं रु0 2,000/- (दो हजार) मात्र प्रतिदिन राज्य के बाहर प्रभारी भत्ता देय होगा।

(च) **मोटर कार खरीदने के लिए विरोधी दल के नेता की अग्रिम और सवारी भत्ता का दिया जाना** : राज्य सरकार विरोधी दल के नेता के उपयोग के लिए मोटरकार की खरीद और उपबंध समय-समय पर ऐसी शर्तों पर कर सकेगी, जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करें।

परन्तु, यदि विरोधी दल के नेता के पास राज्य सरकार द्वारा खरीदी गई कोई मोटरकार नहीं हो, तो उसे उसके बदले सवारी भत्ता की ऐसी रकम जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करें, ताकि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन सुविधा और दक्षतापूर्वक कर सके।

(छ) विरोधी दल के नेता को रु0 15,00,000/- (पन्द्रह लाख) मात्र 4% (चार प्रतिशत) वार्षिक ब्याज की दर पर मोटरकार अग्रिम राशि अनुमान्य होगा।

(ज) **विरोधी दल के नेता की सुविधाएँ** : विरोधी दल के नेता के लिए उपस्कर, दूरभाष तथा निजी स्टॉफ की सुविधाओं के लिए ऐसे प्रावधानों का उपबंध किया जायेगा जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे।

(झ) विरोधी दल के नेता को रु0 5,000/- (पांच हजार) मात्र प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता का भुगतान देय होगा।

(ञ) **हवाई/ जलपोत यात्रा करने के समय नेता विरोधी दल के साथ एक सहयात्री की सुविधा अनुमान्य होगी।** हवाई यात्रा/जलपोत यात्रा से संबंधित विपत्रों का भुगतान तथा HOR मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा पूर्ववत् किया जाता रहेगा।

(सि)

4. यह नियमावली एवं इसके अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के सदन के समक्ष, जब वह 14 दिनों की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, जिसमें एक सत्र या दो क्रमवर्ती सत्र समाविष्ट हो, रखा जायगा और यदि जिस सत्र में यह रखा गया हो, उसकी समाप्ति के पूर्व अथवा उसकी ठीक बाद वाले सत्र में, सदन नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो अथवा सदन सहमत हो कि नियम नहीं बनाया जाए, तो उसके बाद यथास्थिति, नियम का ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभाव होगा अथवा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, फिर भी ऐसा कोई उपान्तरण या बातलीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई कोई बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।
5. **व्याख्या एवं संशोधन**— इस नियमावली के प्रावधानों की यथावश्यक व्याख्या (Interpretation) एवं संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।  
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

18/5/15

(एस0 के0 शतपथी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक— मं0म0स0-05/विधायी का0 (वेतन एवं भत्ता)-01/2015(छाया संघिका) 935/रांची, दिनांक 19 मई, 2015।

प्रतिलिपि:— राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/नेता-विरोधी दल, झारखण्ड विधान सभा, रांची/मुख्य सचिव, कार्यालय के उप सचिव/ विकास आयुक्त के सचिव/ सभी अपर मुख्य सचिव/ सरकार के सभी प्रधान सचिव/प्रधान स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/सरकार के सभी सचिव/सभी माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव/प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/5/15

(एस0 के0 शतपथी)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— मं0म0स0-05/विधायी का0 (वेतन एवं भत्ता)-01/2015(छाया संघिका) 935/रांची, दिनांक 19 मई, 2015।

प्रतिलिपि: महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, एच.ई.सी. प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/डोरंडा/रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/5/15

(एस0 के0 शतपथी)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— मं0म0स0-05/विधायी का0 (वेतन एवं भत्ता)-01/2015(छाया संघिका) 935/रांची, दिनांक 19 मई, 2015।

प्रतिलिपि: अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि राजपत्र की 5000 (पांच हजार) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

18/5/15

(एस0 के0 शतपथी)

सरकार के प्रधान सचिव।